कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2022/ 779 छिन्दवाड़ा दिनांक 10/3/22

प्रति,

महाप्रबंधक
वे0को0फी0लिमि0
कन्हान क्षेत्र डुंगरिया

विषय :— जिला छिन्दवाड़ा वनमंडल पश्चिम के वन परिक्षेत्र दमुआ के वन कक्ष क्रमांक पी एफ — 441 एवं 365 में से रकबा 55.030 हे0 वन भूमि एवं ग्राम चिकटबर्री के विभिन्न खसरों का रकबा 2.588 हे. राजस्व वन भूमि कुल 57.618 हे0 वन भूमि में से एक्सटेंशन ऑफ नंदन—2 यूजी इन धाऊ नार्थ ब्लाक में कोयला उत्खनन हेतु वेस्टर्न कोल फील्डस कन्हान क्षेत्र को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन बाबत्।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 1337 दिनांक 23.02.2022

— ❋❋❋ —

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत दमुआ वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी एफ — 441 एवं पी एफ 365 में से रकबा 55.030 हे0 वन भूमि एवं ग्राम चिकटबर्री के विभिन्न खसरों का रकबा 2.588 हे. राजस्व वन भूमि कुल 57.618 हे0 वन भूमि वन भूमि में से एक्सटेंशन ऑफ नंदन—2 यूजी इन धाऊ नार्थ ब्लाक में कोयला उत्खनन हेतु प्रकरण प्रस्ताव क्रमांक /FP/MP/MIN/151657/2022 से ऑनलाईन किया गया है।

उक्त प्रकरण में निम्नानुसार बिंदुओं की पूर्ति कर प्रस्तुत करें।

1. प्रकरण नवीनीकरण का है या नया प्रस्तावित स्थल है स्पष्ट करें।
2. प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
3. प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया है कि प्रस्तावित स्थल 4 पेचेस में है जिसकी लीज एरिया रकबा 112.640 हे0 लिया गया है जिसमें वन भूमि 57.618 एवं गैर वन भूमि 55.022 हे0 प्रस्तावित किया गया है। वन कक्ष क्रमांक पी एफ 441 की के.एम.एल. फाईल में रकबा 2.46 हे0 छूट रहा है किंतु लीज एरिया की के.एम.एल. फाईल में दिखाया गया है। स्पष्ट करें।

   इसी प्रकार वन कक्ष क्रमांक पी एफ 365 की के.एम.एल. फाईल में रकबा 2.740 हे0 छूट रहा है किंतु लीज एरिया की के.एम.एल. फाईल में दिखाया गया है। स्पष्ट करें।
4. प्रस्तावित खदान का मुहाना वन क्षेत्र में है या राजस्व क्षेत्र में उसका डाया सहित मानचित्र में अंकित करें।
5. प्रस्तावित खदान में उपरीतल हेतु अधोसंरचना का निर्माण किया जावेगा या नहीं स्पष्ट करें।
6. प्रस्तावित खदान का वनपरिक्षेत्राधिकारी दमुआ के साथ स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
7. प्रस्तावित खदान का आस्थाई सीमांकन किया जावें।

Dfo_West//Shoaib//cover 2022

8. प्रस्तावित खदान का डीजीटल वन मानचित्र में लीज एरिया का अस्थाई सीमांकन का अक्षांश–देशांस चिन्हित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में पंजीयन शुल्क की राशि रु. 5000.00 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रु. 50000.00 कुल राशि रु. 55000.00 का (पचपन हजार रूपये मात्र) को कोषालय के माध्यम से राजस्व मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी ओर वन्य जीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियॉ में जमा की गई है। चालान की प्रति कोषालय से सत्यापित कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सहपत्र :– प्रस्ताव 6–6 प्रतियों में मूलतः वापस।

10.03.22

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2022/ 780 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 10/3/22

प्रतिलिपि :– (1) उपवनमंडलाधिकारी परासिया सा उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) वनपरिक्षेत्राधिकारी दमुआ सा0 वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आपके वन परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष कमांक पी एफ – 441 एवं पी एफ 365 में से रकबा 55.030 हे0 वन भूमि एवं ग्राम चिकटबर्री के विभिन्न खसरों का रकबा 2.588 हे. राजस्व वन भूमि कुल 57.618 हे0 वन भूमि वन भूमि में से एक्सटेंशन ऑफ नंदन–2 यूजी इन धाऊ नार्थ ब्लाक में कोयला उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान का आवेदक विभाग के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रस्तावित क्षेत्र में विगत 3 वर्षो में पाये गये वन्य प्राणी की जानकारी सहित प्रतिवेदन उपवनमंडलाधिकारी परासिया के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा